निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 650) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

20 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(सम0)–02–06/2013/918––श्री नवल किशोर भारती, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, रोसड़ा के विरूद्ध कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 939 दिनांक 27.08.12 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर विभाग को भेजा गया। श्री भारती, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप लगाये गयेः–

1. बिना जिला पदाधिकारी के अनुमति से जिला मुख्यालय से अनुपस्थित रहकर सरकार एवं उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। अनुपस्थिति के लिए भिन्न–भिन्न स्पष्टीकरण देकर गलत बयानी एवं अनुशासनहीनता का परिचय दिया गया है।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत छः स्टेडियम निर्माण की योजनाओं को वर्ष 2011–12 की समाप्ति तक पूर्ण नहीं कराना, कर्त्तव्यों में लापरवाही एवं महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा का द्योतक है।

2. मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत छः स्टेडियम निर्माण की योजना को बिलम्ब से हस्तांतरण, उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना एवं मनमाने कार्यकलाप का द्योतक है।

3. स्टेडियम निर्माण कार्य में विशिष्टि के अनुसार कार्य नहीं कराना एवं डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होना आपकी लापरवाही, स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

4. विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत नौ योजनाओं में से तीन वर्षों में मात्र एक योजना का पूर्ण होना, ईंट जोड़ाई में सही अनुपात में सामग्री का प्रयोग नहीं करना तथा तकनीकी पर्यवेक्षण का अभाव, दायित्वों का निर्वहन में लापरवाही एवं संवेदनशून्यता का द्योतक है।

5. मोटर बोर्ड/लाईफ जैकेट/ टेन्ट एवं अन्य राहत सामग्रियों के भंडारण के लिए जिला स्तर पर गोदाम निर्माण का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चार योजनाओं में तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी योजना का कार्य पूर्ण नहीं करना, कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना तथा महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा का द्योतक है।

उक्त गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1143 दिनांक 18.09.13 द्वारा श्री भारती से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री भारती द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण/बचाव बयान में निम्न तथ्य अंकित किये गये हैंः–

1. आरोप सं0–1 के संदर्भ में अंकित है कि दिनांक 21.02.12 एवं 22.02.12 को पटना में विभागीय बैठक में भाग लेने के लिए एहतियात के तौर पर जिलाधिकारी, समस्तीपुर के यहॉ तकनीकी पदाधिकारी की बैठक में भाग लेने

के लिए मो0 जमील अहमद, सहायक अभियंता को प्राधिकृत करते हुए इसकी सूचना पत्रांक 87 दिनांक13.02.12 द्वारा जिलाधिकारी, समस्तीपुर एवं उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर को दी गयी थी। दिनांक 21.02.12 को प्रातःकाल में पटोरी प्रखंड में कार्यान्वित हो रही ई–किसान भवन एवं स्टेडियम कार्य का स्थल निरीक्षण कर तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक में उपस्थिति बन जाने के बाद भाग लेने पहुँचा। जिलाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा आहूत दिनांक 21.02.12 की बैठक में भाग लेने के बाद ही पटना के लिए प्रस्थान किया। अतः सहायक अभियंता को बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत करने एवं बैठक में भाग लेने में कहीं से कोई गलतबयानी नहीं है। दिनांक 21.02.12 की बैठक में मो0 जमील अहमद, सहायक अभियंता एवं स्वयं मेरे द्वारा बैठक में भाग लेते हुए कार्यों की प्रगति के संबंध में पूछे गये प्रश्नों का जवाब दिया गया था। इस संबंध में जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 307 दिनांक 16.03.12 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब पत्रांक 152 दिनांक 23.03.12 द्वारा समर्पित किया गया है एवं उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर के पत्रांक 408 दिनांक 30.03.12 द्वारा आरोप मुक्त भी कर दिया गया है।

दिनांक 26.05.12 को उप विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में सहायक अभियंता मो0 जमील अहमद के साथ बैठक में उपस्थित रहकर योजनाओं की समीक्षा करायी थी एवं पूछे गये सभी कार्यों के संबंध में जवाब दिया था।

स्टेडिय निर्माण के संबंध में श्री भारती का कहना है कि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के विरूद्ध पूरी राशि नहीं दिये जाने और वह भी विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अपेक्षित प्रगति कराकर कार्य पूरा नहीं कराया जा सका। श्री भारती द्वारा कार्य की विवरणी संलग्न की गयी है।

2. आरोप सं0–2 – जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 229 दिनांक 30.03.13 द्वारा स्टेडियम निर्माण से संबंधित सभी 6 योजनाओं को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल सं0–1, समस्तीपुर को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया। उन्होंने कार्यकारी एजेन्सी को इन योजनाओं का लेखा मापी पुस्त में अद्यतन मापी अंकित कर रोकड़ बही आदि समर्पित करने का निर्देश दिया और इन सभी 6 योजनाओं को सभी संगत अभिलेखों के साथ दिनांक 30.05.12 को हस्तांतरित कर दिया गया। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कराये गये कार्यों की अद्यतन मापी एवं लेखा कराने के साथ ही जिलाधिकारी के आदेश का शीघ्रतापूर्वक अनुपालन करने में स्वाभाविक कुछ समय लगा और ऐसा करने में इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

3. आरोप सं0–3 उच्च विद्यालय, पूसा में स्टेडियम निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 42,28,900/– रूपये के विरूद्ध मात्र 13,00,000/– रूपये की राशि विमुक्त की गयी थी। कार्यकारी एजेन्सी उद्वारा विलम्ब से विमुक्त राशि के विरूद्ध कार्य कराया जा रहा था। परिशिष्ट–12 में दिये गये प्रतिवेदन में इस योजना के संबंध में गुणवत्ता के अनुसार कार्य नहीं कराने का उल्लेख किया गया है। प्रतिवेदन में दिया गया यह मंतव्य किसी तकनीकी पदाधिकारी के तकनीकी जॉच पर आधारित नहीं है। विमुक्त राशि के विरूद्ध कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जितना कार्य कराया गया था, वह विशिष्टियों के अनुसार कराया गया था। योजना के दिनांक 30.05.12 को कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0–1, समस्तीपुर को हस्तांतरित करने के बाद इनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

4. आरोप सं0–4 – इस आरोप में नौ कार्यों का उल्लेख किया गया है। आरोप में दिए गये विवरणी से स्वतः स्पष्ट है कि सभी नौ कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 2,42,56,200/– रूपये के विरूद्ध विमुक्त राशि 1,87,21,200/– रूपये ही है। इस विमुक्त राशि से कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से इन नौ कार्यों पर कुल 1,42,50,000/– रूपये व्यय किये जा चुके हैं। संबंधित योजना विवरणी के क्रमांक 1, 8 एवं 9 पर उल्लेखित तीन कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका था और शेष कार्य प्रगति में था। पूरी राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण कार्य की अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी थी। राशि विमुक्त हो जाने पर सभी कार्यों को पूरा कराया जा सकता था जो नहीं हुआ।

कराये जा रहे कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता था और विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराया जा रहा था। किसी तकनीकी पदाधिकारी से त्रुटियों की बिना तकनीकी जॉच कराये ही निर्माण में त्रुटियों का उल्लेख कर दिया गया है, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

जिलाधिकारी, समस्तीपुर के आदेशानुसार सभी नौ कार्यों का लेखा, मापी पुस्त, रोकड़ बही एवं परियोजना अभिलेख कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0–1, समस्तीपुर को हस्तांतरित किया जा चुका है और उनके द्वारा त्रुटियों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

5. आरोप सं0–5 – गोदाम निर्माण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 20,00,000/– रूपये के विरूद्ध मात्र 10,00,000/– रूपये की राशि जिलाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा विमुक्त की गयी थी जो राशि व्यय की जा चुकी थी। इस राशि से योजना में लिंटर स्तर तक कार्य किया जा चुका था। अवशेष राशि जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा विमुक्त नहीं की गयी था जिसके कारण कार्य की प्रगति रूकी हुई थी।

जिलाधिकारी, समस्तीपुर के आदेशानुसार इस योजना के संगत अभिलेख कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0–1, समस्तीपुर को दिनांक 30.05.12 को पूर्णरूपेण स्थानांतरित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में कुल चार अद्द ई–किसान भवन का निर्माण किया जाना था जिसमें तीन अद्द ई–किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका था। अवशेष राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण इन तीन कार्यों में केवल फिनिसिंग कार्य बाकी रह गया था। क्रमांक–4 पर अंकित ई–किसान भवन का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका था। जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बार विमुक्त राशि का उल्लेख किया गया है। तृतीय बार राशि दिनांक 04.05.12 को विमुक्त की गयी थी। जिसके बाद उक्त राशि से कराये गये कार्य के लेखा, रोकड़ बही, माप पुस्त की अद्यतन प्रविष्टियॉ कर जिलाधकारी, समस्तीपुर के

आदेशानुसार सभी संगत अभिलेखों के साथ कार्य का अभिलेख कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0–1, समस्तीपुर को हस्तांतरित किया जा चुका है।

श्री भारती से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि –

आरोप संख्या–1– जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 307 दिनांक 16.03.12 द्वारा श्री नवल किशोर भारती, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0–2, रोसड़ा से दिनांक 21.02.12 को आयोजित तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक में भाग नहीं लेकर उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री भारती, कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 152 दिनांक 15.03.12 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 21..02.12 एवं 22.02.12 को पटना में आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु जाना था, अतः 21.02.12 को जिला में आयोजित बैठक में श्री जमील अहमद, सहायक अभियंता को भाग लेने के लिए पत्रांक 87 दिनांक 18.02.12 द्वारा प्राधिकृत करते हुए इसकी सूचना उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर को दी गई थी। श्री अहमद द्वारा बैठक में भाग ली गई है, जो 21. 02.2012 की कार्यवाही से स्पष्ट है। उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर के पत्रांक 400 दिनांक 30.03.12 द्वारा श्री भारती को भविष्य के लिए सचेत करते हुए आरोप से मुक्त कर दिया गया है एवं भविष्य में जिलाधिकारी से अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ने की हिदायत दी गई है। पुनः दिनांक 26.05.12 को उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर के पत्रांक 705/विकास दिनांक 19.06.12 द्वारा दिनांक 26.05.12 को सम्पन्न तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक में भाग नहीं लेने के लिए स्पष्टीकरण की मॉग की गई।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–2, रोसड़ा के पत्रांक 418 दिनांक 20.06.12 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें इनके द्वारा बैठक समाप्त होने के बाद समाहरणालय कक्ष में पहुॅचने की बात कही गयी है। इनके द्वारा उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर के कार्यालय कक्ष में योजनाओं की समीक्षा में मो0 जमील अहमद के साथ उपस्थित होकर संबंधित कार्यों की पृच्छाओं का जवाब दिया गया है। इसी पत्र में कार्यपालक अभियंता द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 21.02.12 को पटौरी प्रखंड के कार्यान्वित ई–किसान भवन एवं स्टेडियम निर्माण कार्य के निरीक्षणोंपरान्त बैठक में भाग लिया गया था एवं एन0 आर0 ई0 पी0 के कार्यों की समीक्षा कर श्री रामस्वरूप प्रसाद, सहायक अभियंता द्वारा जवाब देने के बाद मेरे द्वारा भी संबंधित कार्यों की पृच्छाओं का जवाब दिया गया था। श्री भारती के अनुसार इसके बाद ही विभागीय बैठक में भाग लेने के लिए वे पटना गये थे।

अतः दिनांक 21.02.12 एवं 26.05.12 को बैठक में भाग नहीं लेने के लिए उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। कार्यपालक अभियंता के निर्देश पर श्री जमील अहमद, सहायक अभियंता के दिनांक 21.02.12 को बैठक में भाग लेने से गलतबयानी का आरोप भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत जिलाधिकारी, समस्तीपुर के आदेश संख्या 526 दिनांक 25.03.10, 761 दिनांक 14.05.10 तथा 1472 दिनांक 31.08.10 द्वारा छः स्टेडियम निर्माण की योजनाओं के कार्यान्वयन का आदेश श्री भारती, कार्यपालक अभियंता को दिया गया। स्टेडियम निर्माण कार्य से संबंधित विवरणी के अनुसार स्थिति निम्नवत है–

क्रमांक	स्टेडियम हेतु चयनित स्थल	कुल स्वीकृत राशि लाख (रू0)	विमुक्त राशि लाख (रू0)	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि	मार्च, 12 तक व्यय की गई राशि लाख (रू0)
1.	उच्च विद्यालय, पूसा	42.289	8.0	दो माह	8.0
2.	छत्रधारी उच्च विद्यालय, दलसिंहसराय	42.269	28.0	दो माह	18.0
3.	जे0पी0एन0 विद्यालय, नरहन	33.217	8.0	दो माह	7.90
4.	उच्च विद्यालय, चॉद चौड़, मथुरापुर	33.217	12.6	तीन माह	5.0
5.	उच्च विद्यालय, बथुआ बुजुर्ग,	33.217	5.0	तीन माह	5.0
6.	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शाहपुर	33.217	25.0	तीन माह	20.0

विवरणी के अनुसार मार्च, 12 के प्रगति प्रतिवेदन में उपरोक्त सभी कार्यों को प्रगत्याधीन बताया गया है। उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि मार्च, 12 तक स्टेडियम निर्माण योजनाओं में कुल स्वीकृत राशि के विरूद्ध पूर्ण राशि को विमुक्त नही किया गया है। आवंटन के अभाव में कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है लेकिन छत्रधारी उच्च विद्यालय, दलसिंहसराय, उच्च विद्यालय, चॉद चौड़, मथुरापुर तथा प्रा0 शि0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, शाहपुर में विमुक्त राशि के विरूद्ध कम व्यय किये जाने से कर्त्तव्यों में लापरवाही एवं कार्यों की उपेक्षा आंशिक रूप से परिलक्षित होती है।

(ii). **आरोप संख्या–2** – मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत स्टेडियम निर्माण से संबंधित सभी छः योजनाओं को जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 229 दिनांक 30.03.12 द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, समस्तीपुर को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया। उपरोक्त सभी छः योजनाओं को सभी संगत अभिलेखों के साथ दिनांक 30.05.12 को हस्तांतरित कर दिया गया कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कराये गये कार्यों की अद्यतन मापी लेकर रोकड़ बही, लेखा, परियोजना अभिलेख आदि तैयार करने पर योजनाओं के हस्तांतरण में स्वभाविक रूप से कुछ समय लगने का श्री भारती, कार्यपालक अभियंता का बयान मान्य है अतः उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना तथा मनमाने कार्यकलाप का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(iii). **आरोप संख्या–3** – के संदर्भ में समीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत छः अदद योजनाओं में से तीन अदद योजनाओं की स्वीकृति दिनांक 25.03.10 को, दो अदद योजनाओं की स्वीकति दिनांक 19. 05.10 को एवं एक अदद योजना की स्वीकृति दिनांक 31.08.10 को दी गई। कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि दो से तीन माह थी। वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, समस्तीपुर के पत्रांक 1822 / विकास दिनांक 22.12.11 के आलोक में स्टेडियम निर्माण में प्रयुक्त सामग्री मानक के अनुसार नहीं होने, घटिया निर्माण कार्य करने, ईंट की गुणवत्ता खराब होने, जोड़ाई में सीमेन्ट बालू का अनुपात सही नहीं होने का आरोप श्री नवल किशोर भारती, कार्यपालक अभियंता पर लगाया गया है। स्टेडियम निर्माण के कार्यों की जॉच का प्रतिवेदन तकनीकी जॉच पर आधारित नहीं है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा भी बचाव बयान में स्टेडियम निर्माण विशिष्टी के अनुरूप कराने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। श्री भारती का बचाव बयान में यह कहना कि योजनाओं के हस्तांतरण के बाद कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0–1, समस्तीपुर द्वारा गुणवत्ता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है, को मान्य नहीं किया जा सकता है।

स्टेडियम निर्माण की स्वीकृत योजनाओं के लिए कुल स्वीकृत राशि के अनुसार पूरी राशि विमुक्त नहीं की गयी है। फिर भी मार्च, 10 से मई, 10 तक की स्वीकृत योजना जिसकी कार्यावधि मात्र दो से तीन माह है मार्च, 12 तक प्रगत्याधीन रहने से कार्यान्वयन में कार्यपालक अभियंता की लापरवाही परिलक्षित होती है।

अतः स्टेडियम निर्माण कार्य में विशिष्टि के अनुसार कार्य नहीं कराने एवं डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के लिए कार्यपालक अभियंता श्री भारती पर लापरवाही का आरोप प्रमाणित होता है।

(iv) आरोप संख्या–4 – वित्तीय वर्ष 2008–09 में विद्यालय सुदृढीकरण योजनान्तर्गत नौ योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर फरवरी, 2009 में कार्यान्वयन कराने का आदेश श्री नवल किशोर भारती, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, रोसड़ा को दिया गया। योजना की विवरणी एवं योजना की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	प्राक्कलित राशि	विमुक्त राशि	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1.	जनता उच्च विद्यालय, खलुआहा भवन निर्माण	107 / 17.02.09	26.0	26.0	23.50	पूर्ण
2.	तिरहुत एकेडमी उच्च विद्यालय में भवन निर्माण	107 / 15.02.09	25.963	13.00	13.00	छत ढ़लाई सम्पन्न, अवशेष राशि अप्राप्त।
3.	उच्च विद्यालय, ताजपुर भवन निर्माण	107 / 15.02.09	26.00	13.00	13.00	अवशेष राशि अप्राप्त।
4.	प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, कल्याणपुर भवन निर्माण	106 / 15.02.09	29.423	28.702	21.50	प्रथम तल पर ईट जोड़ाई पूर्ण छत का संटरिंग प्रगति में।
5.	उच्च विद्यालय, पूसा भवन निर्माण	106 / 15.02.09	26.00	13.00	13.00	छत ढ़लाई पूर्ण
6.	रेलवे कॉलोनी उच्च विद्यालय, समस्तीपुर	106 / 5.02.09	25.989	24.690	21.29	प्रथम तल पर ईट जोड़ाई पूर्ण छत का संटरिंग प्रगति में।

क्र0सं0	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	प्राक्कलित राशि	विमुक्त राशि	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
7.	समपातो देवी परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, गोही,वारिसनगर, भवन निर्माण कार्य	162/ 24.02.09	31.389	29.820	24.50	छत ढ़लाई पूर्ण चहारदिवारी निर्माण पूर्ण प्लास्टर कार्य प्रगति में
8.	उच्च विद्यालय तिसवारा, सूर्यपुर भवन निर्माण	107/15.02. 09	26.00	26.00	24.00	पूर्ण
9.	पी0एस0पी0 उच्च विद्यालय विभाग में भवन निर्माण कार्य	782/18.05. 10	25.798	—	22.846	पूर्ण

उपरोक्त नौ योजनाओं में से तीन योजनायें पूर्ण है। शेष योजनाओं में विमुक्त राशि का व्यय लगभग सुनिश्चित कर दिया गया है। क्रमांक 1 एवं 9 पर अंकित योजना दिनांक 30.05.12 को पूर्ण होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उदघाटित है। क्रमांक 8 की योजना भी पूर्ण है। क्रमांक 2, 3 एवं 5 पर अंकित योजनाओं में लगभग 50 प्रतिशत राशि ही विमुक्त की गई। अतः इन योजनाओं की प्रगति प्रभावित होना स्वाभाविक है। क्रमांक 4 एवं 6 पर अंकित योजनाओं में छत ढलाई के लिए सटरिंग कार्य प्रगति में था एवं क्रमांक 7 की योजना में छत ढलाई हो चुकी थी। तीन वर्षों में सभी योजनाओं के पूर्ण नहीं होने से कार्यपालक अभियंता की लापरवाही एवं तकनीकी पर्यवेक्षण का अभाव परिलक्षित होता है।

वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, समस्तीपुर जो तकनीकी पदाधिकारी नहीं हैं की जॉच के आधार पर छज्जा की ढलाई घटिया होना, छड़ का प्रयोग मानक के अनुसार नहीं होना, ईंट जोड़ाई में सही अनुपात में सामग्री का प्रयोग नहीं होना आदि आरोप लगाया गया है लेकिन आरोप के साथ साक्ष्य के रूप में तकनीकी जॉच प्रतिवेदन संलग्न नही किया गया है।

श्री भारती द्वारा भी बचाव बयान में छज्जा की ढलाई घटिया नहीं होने, छड़ के प्रयोग मानक के अनुसार करने, ईंट जोड़ाई में सही अनुपात में सामग्री का प्रयोग करने आदि के संबंध में साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

अतः विद्यालय सुदृढीकरण योजनान्तर्गत नौ योजनाओं में से तीन वर्षों में मात्र तीन योजनाओं के पूर्ण होने, ईंट जोड़ाई में सही अनुपात में सामग्री का प्रयोग नहीं करने, दायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं संवेदनशून्यता का आरोप प्रमाणित होता है।

(v) आरोप संख्या–5 – जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 907/आ0प्र0 दिनांक 06.11.2011 द्वारा मोटर बोट/लाईफ जैकेट/टेन्ट एवं अन्य राहत सामग्रियों के भंडारण हेतु गोदाम के निर्माण का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 33/आ0प्र0 दिनांक 11.01.12 द्वारा 10.00 लाख का अग्रिम दिया गया। श्री भारती के अनुसार विमुक्त राशि से गोदाम निर्माण में लिंटर तक कार्य कराया गया था। अवशेष राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण कार्य की प्रगति रूकी हुई थी। श्री भारती, कार्यपालक अभियंता द्वारा गोदाम निर्माण के संबंध में मार्च, 12 का प्रगति प्रतिवेदन संलग्न किया गया है जिसमें मार्च, 2012 तक नींव कार्य प्रगति में बताया गया है एवं मार्च, 2012 में 5. 00 लाख व्यय प्रतिवेदित किया गया है। लेकिन आरोप यथा व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र मापी पुस्त की छायाप्रति सहित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। समाहर्त्ता, समस्तीपुर के पत्रांक 907 दिनांक 06.11.11 में यह स्पष्ट निर्देश था कि प्रत्येक माह में प्रथम तारीख को योजना की प्रगति एवं व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर के पत्रांक 120 दिनांक 09.02.12 द्वारा भी उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु कार्यपालक अभियंता निदेशित किये गये। अतः कार्यपालक अभियंता श्री भारती पर कर्त्तव्य में लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना का आरोप प्रमाणित होता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में कुल चार ई–किसान भवन के निर्माण की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता को जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 772 दिनांक 01.08.09 द्वारा दी गई। भवन निर्माण संबंधी प्रतिवेदन एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार व्यय एवं कार्य की स्थिति निम्नवत है।

क्र0सं0	योजन (ई–किसान भवन) का निर्माण	मार्च, 12 तक	04.05.12 को	कुल	मार्च, 12 तक व्यय	कार्य की स्थिति
1.	रोसड़ा	38.5	2.5	41.0	33.5	सबमर्सिबुल पम्प की जगह सामान्य मोटर लगाया गया है।
2.	दलसिंहसराय	38.5	2.5	41.0	37.5	बोरिंग का कार्य बाकी।
3.	पटौरी	38.5	2.5	41.0	41.0	शौचालय एवं सीढ़ी का कार्य बाकी
4.	समस्तीपुर	38.5	2.5	41.0	38.5	ढलाई कार्य पूर्ण, प्लास्टर अधूरा एवं खिड़की–दरवाजा नहीं लगा है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री भारती का यह कहना कि तीन निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके थे एवं अवशेष राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण इन तीन कार्यों में केवल फिनिशिंग कार्य बाकी रह गया था मान्य किया जा सकता है। श्री भारती के अनुसार दिनांक 04.05.12 को विमुक्त राशि से शेष कार्य कराकर जिलाधिकारी, समस्तीपुर के आदेशानुसार कराये गये कार्य का लेखा, रोकड़ बही, मापी पुस्त आदि कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0–2, समस्तीपुर को हस्तांतरित कर दिया गया है। अतः ई–किसान भवन के निर्माण में एक भी योजना का कार्य नहीं कराने के लिए कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना तथा महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरान्त श्री नवल किशोर भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, रोसड़ा के विरूद्व स्टेडियम निर्माण में विमुक्त राशि के विरूद्ध कम व्यय कर निर्माण लंबित रखने, ठोस साक्ष्य नहीं देने के कारण स्टेडियम निर्माण कार्य विशिष्टि के अनुसार नहीं कराने तथा स्टेडियम निर्माण के कार्यान्वयन में विलंब करने, विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत नौ योजनाओं में से मात्र तीन योजनाओं के पूर्ण होने तथा ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने की वजह से ईंट जोड़ाई में सही अनुपात में सामग्री का प्रयोग नहीं करने के कारण कर्त्तव्यों में लापरवाही, दायित्व के निर्वहन में लापरवाही, उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना एवं संवेदनशून्यता का आरोप प्रमाणित होता पाया गया है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री नवल किशोर भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0–2, रोसड़ा के विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:–

(1) 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री नवल किशोर भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0–2, रोसड़ा को उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 650-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in